



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237863
CG-DL-E-03082022-237863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3474]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944

No. 3474]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

का. आ. 3640(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1757 (अ) तारीख. 11 अप्रैल, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 के 183.360 कि.मी. से 209.230 कि.मी. (सुल्तानपुर - वाराणसी सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चैड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 23.04.2022 को “दैनिक जागरण” और “द टाइम्स आफ इन्डिया” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 के 183.360 कि.मी. से 209.230 कि०मी० तक (मुल्तानपुर-वाराणसी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित और संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: जौनपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बदलापुर				
	गांव का नाम: बरौली				
1	56	निजी	कृषि	0.016	श्रीराम उर्फ लालसाहब पुत्र रामसुभग नि० ग्राम-अहिरौली
	गांव का नाम: मरगूपुर				
2	908	निजी	कृषि	0.012	रमाकान्त, कमलाकान्त, राजन पुत्रगण फुर्तबहादुर नि० ग्राम
3	915	निजी([object Object])	कृषि	0.14	रमाकान्त, कमलाकान्त, राजन पुत्रगण फुर्तबहादुर नि० ग्रा
	गांव का नाम: मिरसादपुर				
4	308	निजी	कृषि	0.0044	राजकुमार पुत्र रामजस नि० ग्राम
	गांव का नाम: मुरादपुर कोटिला				
5	1752 K	निजी	कृषि	0.012	विजय बहादुर पुत्र जैराम व मालिक पुत्र पयाग नि०गण मिरसादपुर व गुलाम रसूल पुत्र बुलबुल नि० उदपुर गेलहवा व रंजय, संजय पुत्रगण तिलकधारी व धनराजी पत्नी तिलकधारी नि०गण ग्राम व लालता प्रसाद, लालजी पुत्रगण सीताराम व गौरा देवी पत्नी सीताराम व विजयप्रकाश पुत्र जैराम नि० मिरसादपुर
	गांव का नाम: पट्टी दयाल				
6	442	निजी	कृषि	0.1386	(442/1) गंगादेई पत्नी रामबरन नि० मुरादपुर कोटिला। (442/2) दुखरन पुत्र मघई नि०ग्राम व ऊषा पत्नी भानूप्रताप नि० मुरापुर कोटिला। (442/3) जगपति पत्नी बेचन नि०ग्राम व मीरादेवी पत्नी भारतराम नि० मुरादपुर कोटिला। (442/4) कुट्टुर पुत्र शिवधान नि० ग्राम। (442/5) दुखरन पुत्र मघई नि० ग्राम। (442/6) जगपति पत्नी बेचन नि०ग्राम।

					(442/7) ईशनरायन पुत्र नोखईराम नि0 ग्राम।
	गांव का नाम: पूरा मुकुन्द				
7	201	निजी	कृषि	0.02	ज्ञानेन्द्र प्रताप पुत्र निहाल उर्फ विरेन्द्र प्रताप नि0 ग्राम-बबुरा
8	302	निजी	कृषि	0.024	राजेन्द्र, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण विश्वनाथ नि0गण ग्राम
	गांव का नाम: साढ़ापुर				
9	1312	निजी	कृषि	0.061	कमलादेवी पत्नी राजपति नि0 ग्राम
	गांव का नाम: सरोखतपुर				
10	899	निजी	कृषि	0.065	उमाशंकर पुत्र यदुवीर नि0 ग्राम
	गांव का नाम: सिंगरामऊ				
11	63	निजी	कृषि	0.1051	शान्ति देवी पत्नी गंगा प्रसाद व कमलादेवी पत्नी रामजी नि0 ग्राम व गुलाबचन्द पुत्र अवध नारायन नि0 घाघरपारा व श्रीमती इन्दू पत्नी सालिकराम नि0 महमूदपुर व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी कैलाशनाथ विश्वकर्मा नि0 पूरेबंशीधर, परगना व तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ व सुनीता देवी पत्नी ओम प्रकाश यादव नि0 ग्राम-महडौरा, परगना व तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़
12	65	निजी	कृषि	0.0295	शान्ति देवी पत्नी गंगा प्रसाद नि0 ग्राम व कमलादेवी पत्नी रामजी व गुलाबचन्द पुत्र अवध नारायन नि0 घाघरपारा
	गांव का नाम: सुल्तानपुर				
13	209	निजी	कृषि	0.1341	रमाशंकर, उमाशंकर पुत्रगण सहदेव नि0 ग्राम
			कुल	0.7617	

[फा. सं. 2108 €/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2022

S.O. 3640(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 1757 (E) dated 11.04.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH56 on the stretch of land from Km. 183.360 to Km. 209.230 (Sultanpur-Varanasi Section) in the district of JAUNPUR in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagaran” and “The Times of India” both dated 23.04.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 183.360 to Km. 209.230 (Sultanpur–Varanasi Section) of National Highway No-56 in the State of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: JAUNPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Badlapur				
	Village: Barauli				
1	56	Private	Agricultural	0.016	Shri Ram alias Lalsahab S/o Ramsubhag R/o Ahirauli
	Village: Margupur				
2	908	Private	Agricultural	0.012	Ramakant, Kamalakant, Rajan S/o Furtbahadur R/o Village
3	915	Private	Agricultural	0.14	Ramakant, Kamalakant, Rajan S/o Furtbahadur R/o Village
	Village: Mirshadpur				
4	308	Private	Agricultural	0.0044	Rajkumar S/o Ramjas R/o Village
	Village: Muradpur Kotila				
5	1752 K	Private	Agricultural	0.012	Vijay Bahadur S/o Jairam & Malik S/o Pyag R/o Mirsadpur & Gulam Rasul S/o Buldul R/o Udpur Gelhwa & Ranjay, Sanjay S/o Tilakdhari & Dhanraji W/o Tilakdhari R/o Village & Lalta Prasad, Lalji W/o Sitaram & Gauradevi W/o Sitaram & Vijay Prakash S/o Jairam R/o Mirsadpur
	Village: Pattidayal				
6	442	Private	Agricultural	0.1386	(442/1) Gangadei W/o Rambaran R/o Muradpur Kotila. (442/2) Dukhran S/o Maghei R/o Vill. & Usha W/o Bhanu Pratap R/o Muradpur Kotila. (442/3) Jagpati W/o Bechan R/o Vill. & Mira Devi W/o Bharatram R/o Muradpur Kotila. (442/4) Kuttur S/o Shivdhan R/o Village. (442/5) Dukhran S/o Maghei R/o Vill. (442/6) Jagpati W/o Bechan R/o Vill. (442/7) Ishnarayan S/o Nokhei Ram R/o Village

	Village: Pura Mukund				
7	201	Private	Agricultural	0.02	Gyanendra Pratap S/o Nihal alias Virendra Pratap R/o Babura
8	302	Private	Agricultural	0.024	Rajendra, Laxminarayan S/o Vishwanath R/o Village
	Village: Sadhapur				
9	1312	Private	Agricultural	0.061	Kamla Devi W/o Rajpati R/o Village
	Village: Sarokhatpur				
10	899	Private	Agricultural	0.065	Umashankar S/o Yadubir R/o Village
	Village: Singaramau				
11	63	Private	Agricultural	0.1051	Shanti Devi W/o Ganga Prasad & Kamla Devi W/o Ramji R/o Village & Gulabchand S/o Awadh Narayan R/o Ghaghrpara & Smt. Indu W/o Salikram R/o Mahmudpur & Smt. Nirmla Devi W/o Kailashnath Vishwakarma R/o Purebanshidhar. Pargna & Tehsil-Patti, Distt. Pratapgarh & Sunita Devi W/o Omprash Yadav R/o Mahdaura Pargna & Tehsil-Patti, Distt. Pratapgarh
12	65	Private	Agricultural	0.0295	Shanti Devi W/o Ganga Prasad & Kamla Devi W/o Ramji R/o Village & Gulabchand S/o Awadh Narayan R/o Ghaghrpara
	Village: Sultanpur				
13	209	Private	Agricultural	0.1341	Ramashankar, Umashankar S/o Sahdev R/o Village
			TOTAL	0.7617	

[F. No. 2108 €/3D]

RAJESH GUPTA, Director